

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी:- सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 185/2023

जीसीएमएस नम्बर :- 2023/698

1. मधु पुत्री छाजूराम पत्नी सुभाष उम्र 45 साल
2. सुरताब पुत्री छाजूराम पत्नी नरेश उम्र 38 साल जाति अहीर निवासीगण निहालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद गोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ




.....वादीयागण

- ब न म -

1. कृष्ण कुमार पुत्र छाजूराम
2. राजेन्द्र पुत्र छाजूराम
3. दलीप पुत्र छाजूराम
4. बलबीर पुत्र छाजूराम
5. लालचन्द पुत्र घीसाराम (फौत)
 - 5/1. सन्दीप कुमार पुत्र लालचन्द जाति अहीर निवासी निहालोठ
 - 5/2. सपना पुत्री लालचन्द पत्नी आशीष, जाति अहीर निवासी निहालोठ, हाल आबाद बजाड़ तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ हरि0
 - 5/3. रमेश देवी पत्नी लालचन्द जाति अहीर निवासी निहालोठ
6. औमप्रकाश पुत्र घीसाराम
7. जसवन्त पुत्र घीसाराम
8. अणची पत्नी घीसाराम
9. धनपति पत्नी कृष्ण कुमार
10. कमलसिंह पुत्र नारायण सिंह
11. श्योनारायण पुत्र रामू
12. भानीसहाय पुत्र चन्द्रभान
13. रतीराम पुत्र रामस्वरूप
14. लीलाराम पुत्र रामस्वरूप
15. सहीराम पुत्र रामस्वरूप
16. ईश्वर पुत्र फुलाराम
17. रेवती पत्नी फुलाराम
18. प्रेमकुमार दत्तक पुत्र घीसाराम
19. सरदारा राम पुत्र रामू (फौत)




उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

- 19/1. सज्जन सिंह पुत्र सरदारा राम
 19/2. फुला देवी पत्नी सरदारा राम समस्त जाति अहीर निवासी निहालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
20. लालचन्द पुत्र रामू (फौत)
 20/1. कविता पुत्री लालचन्द पत्नी बिल्लू,
 20/2. मन्जू पुत्री लालचन्द पत्नी सतीश,
 20/3. बबली पुत्री लालचन्द पत्नी अनिल,
 20/4. मिन्दु पुत्री लालचन्द पत्नी आदेश,
 20/5. बाला पुत्री लालचन्द पत्नी छेलूराम,
 समस्त जातिगण अहीर निवासी निहालोठ हाल आबाद आकोदा, तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरि0
 20/6. संजु पुत्री लालचन्द पत्नी
 20/7. शांति पत्नी लालचन्द जाति अहीर निवासी निहालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
21. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा भालोठ तह. बुहाना जिला झुंझुनू राज0
 22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत:- घोषणात्मक रिकार्ड दुरुस्ती

—:निर्णय:—

दिनांक:- 14/7/2025



उपस्थिति -

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, अधिवक्ता - वादीगण की ओर से ।
2. श्री विजयपाल यादव अधिवक्ता- प्रति0 सं0 3 की ओर से शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।


(1). वादी का वादपत्र रहा कि:-

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ति संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया है कि:-

1. यह कि ग्राम निहालोठ स्थित भूमि खाता सं. 14 के ख.न. 152 रकबा 0.09 है. खाता सं. 13 के ख.न. 636 रकबा 0.62 है. ख.न. 757 रकबा 0.58 है. ख.न. 266 रकबा 0.44 है. कुल किता 3 रकबा 1.64 है. खाता सं. 4 के ख.न. 171 रकबा 0.09 है. ख.न. 518 रकबा 0.32 है. ख.न. 524 रकबा 0.25 है. ख.न. 138 रकबा 0.14 है. कुल किता 4 रकबा 0.80 है. खाता संख्या 3 के ख.न. 611 रकबा 0.16 है. ख.न. 620 रकबा 0.18 है. कुल किता 2

रकबा 0.34 है. खाता संख्या 15 के ख.न. 190 रकबा 0.19 है. खाता संख्या 18 के ख.न. 158 रकबा 0.11 है. ख.न. 295 रकबा 0.22 है. ख.न. 298 रकबा 0.18 है. ख.न. 323 रकबा 0.47 है. ख.न. 325 रकबा 0.23 है. ख.न. 337 रकबा 0.07 है. ख.न. 360 रकबा 0.05 है. ख.न. 361 रकबा 0.06 है. ख.न. 365 रकबा 0.12 है. ख.न. 388 रकबा 0.13 है. 381 रकबा 0.16 है. ख.न. 369 रकबा 0.12 है. ख.न. 370 रकबा 0.12 है. ख.न. 371 रकबा 0.08 है. ख.न. 373 रकबा 0.12 है. ख.न. 374 रकबा 0.11 है. ख.न. 375 रकबा 0.13 है. ख.न. 378 रकबा 0.08 है. ख.न. 379 रकबा 0.05 है. ख.न. 380 रकबा 0.04 है. ख.न. 382 रकबा 0.04 है. ख.न. 595 रकबा 0.32 है. ख.न. 597 रकबा 0.10 है. ख.न. 602 रकबा 0.30 है. कुल किता 24 रकबा 3.28 है. तथा खाता संख्या 18 के ख.न. 588 रकबा 0.18 है. ख.न. 610 रकबा 0.21 है. कुल किता 2 रकबा 0.39 है. खाता संख्या 19 के ख.न. 282 रकबा 0.19 है. ख.न. 263 रकबा 0.25 है. ख.न. 588 रकबा 0.18 है. ख.न. 878 रकबा 0.14 है. ख.न. 877 रकबा 0.28 है. ख.न. 934/788 रकबा 0.01 है. ख.न. 151 रकबा 0.15 है. कुल किता 7 रकबा 1.20 है. खाता संख्या 128 के ख.न. 288 रकबा 0.14 है. ख.न. 289 रकबा 0.15 है. कुल किता 2 रकबा 0.29 है. में वादीयागण का प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के बराबर हिस्सा है।

2. यह कि वादीयागण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 28 की वंशावली निम्न लिखित है।



इस प्रकार वादीयागण के पिता स्व. छाजूराम को अपने पिता पीरू से खातेदारी से भूमि मिली है यानि वादीयागण के अंश से मिली इस प्रकार वाद वर्णित भूमि पैतृक है जिसमें वादीयागण का प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ बराबर - बराबर हिस्सा है।

3. यह कि वादीयागण के पिता व दादा के देहान्त के बाद प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर वादीयागण को छोड़ते हुये अकेले अपने नाम से ही नामान्तरकण दर्ज करवाकर स्व. छाजूराम के हिस्से पर अकेले खातेदार दर्ज हो गये



[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी वहां
 जिला झुन्झुनू (राज.)

जबकि उनके साथ प्रार्थीयागण भी बराबर हिस्सा की हिस्सेदार व खातेदार है प्रतिवादी सं. 2 ने अपना हिस्सा गलत बताते हुये प्रतिवादी सं. 9 को बचान कर दिया जो वादीयागण के अधिकारो पर शुन्यप्रभावी है।

4. यह कि वादीयागण वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के साथ बराबर - बराबर हिस्से में खातेदार दर्ज होने की अधिकारीणी है इस प्रकार वादीयागण खाता संख्या 14 में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के साथ 1/8 हिस्सा में बराबर की खातेदार यानि प्रत्येक का 1/36 हिस्सा खाता संख्या 13 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ 1/4 हिस्सा में यानि प्रत्येक का 1/24 हिस्सा खाता संख्या 4 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ प्रत्येक का 1/12 हिस्सा है खाता संख्या 3 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ प्रत्येक का 1/12 हिस्सा है खाता संख्या 15 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ प्रत्येक का 1/48 हिस्सा है खाता संख्या 18 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ प्रत्येक का 1/48 हिस्सा है। खाता संख्या 18 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ प्रत्येक का 1/24 हिस्सा खाता संख्या 19 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ प्रत्येक का 1/36 हिस्सा है तथा खाता संख्या 128 में 1.5 आना भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ प्रत्येक का 1/12 हिस्सा की खातेदार घोषित होने की अधिकारीणी है।
5. यह कि दावे के लिये आधार विवाद प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 द्वारा राजस्व कर्मचारियो से साजकर पैतृक भूमि का फौतगी इन्तकाल वादीयागण को छाजूराम का वारिस छुपाते हुये अकेले के नाम दर्ज कराने से पैदा हुआ जबकि वादीयागण का मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा है। जो कभी प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 से कभी अन्य से बंटाई पर अपना हिस्सा कास्त करवाती है इसी वर्ष वादीयागण ने फोन पर बंटाई का हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 2 से फसल निकालने का समाचार करने को कहा तो प्रतिवादी सं. 2 ने कहा इस वा वर्णित भूमि से वादीयागण का कोई लेना देना नही है रिकार्ड से हमारे ही नाम है इसलिये हिस्सा नही देगे जिस पर वादीयागण ने दिनांक 15.03.2013 को राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 ने पैतृक भूमि अकेले अपने ही नाम करवा ली ओर प्रतिवादी सं. 2 ने तो अपना हिस्सा अधिक बताते हुये प्रतिवादी सं. 9 को बेचान भी कर दी अतः दावा अन्दर मियाद पेश है व प्रतिवादीगण सं. 5 लगायत 20 को सहखातेदार होने से दावे में पक्षकार बनाया गया है वादीयागण को उनसे कोई हकतलफी नही है।
6. यह कि ग्राम निहालोठ न्यायालय के सीमा अधिकार में स्थित है इसलिये इस वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

(क) कि वाके ग्राम निहालोठ स्थित भूमि खाता संख्या 14 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ 1/16 हिस्सा में बराबर की खातेदार यानि प्रत्येक को 1/36 हिस्सा खाता संख्या



उपखण्ड अधिकारी बृहान
जिला प्रद्वर् (अ.न.)

13 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ 1/4 हिस्सा में यानि प्रत्येक का 1/24 हिस्सा खाता संख्या 4 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ प्रत्येक का 1/12 हिस्सा है खाता संख्या 3 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ प्रत्येक का 1/12 हिस्सा है खाता संख्या 15 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ प्रत्येक का 1/48 हिस्सा है खाता संख्या 16 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ प्रत्येक का 1/48 हिस्सा है। खाता संख्या 18 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ प्रत्येक का 1/24 हिस्सा खाता संख्या 19 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ प्रत्येक का 1/36 हिस्सा है तथा खाता संख्या 128 में 1.5 आना भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के साथ प्रत्येक का 1/12 हिस्सा की खातेदार वादीयागण को घोषित किया जावे।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। जिनकी सम्यक तामिल होने के बाद प्रतिवादी सं. 3 की ओर से श्री विजयपाल यादव अधिवक्ता उपस्थित आये तथा प्रतिवादी सं. 1, 9, 10 की ओर से श्री महावीर चौधरी अधिवक्ता उपस्थित आकर अपना वकालतनामा पेश किया लेकिन काफी अवसर के बाद भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामिल के हाजिर अदालत नहीं आए जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा निम्न प्रकार जवाब दावा पेश किया गया कि-


- यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 1 जिस भांति दर्ज है गलत होन से स्वीकार नहीं है विवादित भूमि के खाता संख्या 14 के ख.न. 152 रकबा 0.09 है. में वादी सं. 1 का 1/42 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/42 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का भी प्रत्येक का 1/42-1/42 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 4 का 2/42 हिस्सा था क्योंकि प्रतिवादी सं. 2 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 9 को बेचान कर दिया। इसलिए वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रत्येक का 1/42 -1/42 हिस्सा है व प्रतिवादी सं. 4 का 2/42 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/42 हिस्सा है तथा खाता सं. 13 के ख.न. 636 रकबा 0.62 है. ख. न. 757 रकबा 0.58 है. ख.न. 266 रकबा 0.44 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.64 है. में वादीगण का 1/28-1/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रत्येक का 1/28-1/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 का 2/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/29 हिस्सा है तथा खाता सं. 4 के ख.न. 171 रकबा 0.09 है. ख.न. 518 रकबा 0.32 है. ख.न. 524 रकबा 0.25 है. ख.न. 138 रकबा 0.14 है. कुल किता 4 रकबा 0.80 है. में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/14-1/14 हिस्सा है व प्रतिवादी सं. 4 का 2/14 हिस्सा है खाता संख्या 3 के ख.न. 611 रकबा 0.16 है. ख.न. 620 रकबा 0.18 है. कुल किता 2 रकबा 0.34 है. में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/28-1/28 व प्रतिवादी सं. 4 का 2/28 हिस्सा है खाता संख्या 15 के ख.न. 190 रकबा 0.19 है. में



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/56-1/56 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 का 2/56 हिस्सा है। खाता संख्या 16 के ख.न. 158 रकबा 0.11 है। ख.न. 295 रकबा 0.22 है। ख.न. 296 रकबा 0.18 है। ख.न. 323 रकबा 0.47 है। ख.न. 325 रकबा 0.23 है। ख.न. 337 रकबा 0.07 है। ख.न. 360 रकबा 0.05 है। ख.न. 361 रकबा 0.06 है। ख.न. 365 रकबा 0.12 है। ख.न. 366 रकबा 0.13 है। 367 रकबा 0.16 है। ख.न. 369 रकबा 0.12 है। ख.न. 370 रकबा 0.12 है। ख.न. 371 रकबा 0.08 है। ख.न. 373 रकबा 0.12 है। ख.न. 374 रकबा 0.11 है। ख.न. 375 रकबा 0.13 है। ख.न. 378 रकबा 0.08 है। ख.न. 379 रकबा 0.05 है। ख.न. 380 रकबा 0.04 है। ख.न. 382 रकबा 0.04 है। ख.न. 595 रकबा 0.32 है। ख.न. 597 रकबा 0.10 है। ख.न. 602 रकबा 0.30 है। कुल किता 24 रकबा 3.28 है। में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रत्येक का 1/56-1/56 व प्रतिवादी सं. 4 का 2/56 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/56 हिस्सा है तथा खाता संख्या 18 के ख.न. 588 रकबा 0.18 है। ख.न. 610 रकबा 0.21 है। कुल किता 2 रकबा 0.39 है। में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रत्येक का 1/28 -1/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 का 2/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/28 हिस्सा है। खाता संख्या 128 के ख.न. 288 रकबा 0.14 है। ख.न. 289 रकबा 0.15 है। कुल किता 2 रकबा 0.29 है। में से ढाई आना छाजूराम के हिस्से में से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का 1/6-1/6 हिस्सा है। खाता संख्या 19 के ख.न. 262 रकबा 0.19 है। ख.न. 263 रकबा 0.25 है। ख.न. 588 रकबा 0.18 है। ख.न. 876 रकबा 0.14 है। ख.न. 877 रकबा 0.28 है। ख.न. 934/786 रकबा 0.01 है। ख.न. 151 रकबा 0.15 है। कुल किता 7 रकबा 1.20 है। में से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/42-1/42 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 4 का 2/42 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/42 हिस्सा है।

2. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 2 गलत है स्वीकार नहीं है स्व0 पीरू की जो वंशावली दर्ज की गई है वह गलत दर्ज की है स्व0 पीरू की सही वंशावली निम्न प्रकार से है-



3. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 3 स्वीकार है।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 4 गलत है स्वीकार नहीं है वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, व 9 के साथ छाजुराम की भूमि में से खाता संख्या 14 में 1/7-1/7 अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में 1/42-1/42 हिस्से व प्रतिवादी सं. 4 को 2/42 हिस्से की खातेदार कास्तकार घोषित होने की अधिकारिणी है व इसी अनुसार उनका हिस्सा है। यानि प्रत्येक का 1/42-1/42 हिस्सा है व खाता संख्या 13 में वादीगण व प्रति. सं. 1, 3 व 9 प्रत्येक का 1/28-1/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 का 2/28 हिस्सा है। खाता सं. 3 में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/28-1/28 व प्रति. सं. 4 का 2/28 हिस्सा है। खाता सं. 4 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/14-1/14 हिस्सा है व प्रतिवादी सं. 4 का 2/14 हिस्सा है खाता संख्या 3 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/28-1/28 व प्रतिवादी सं. 4 का 2/28 हिस्सा है खाता संख्या 15 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/56-1/56 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 का 2/56 हिस्सा है। खाता संख्या 16 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रत्येक का 1/56-1/56 व प्रतिवादी सं. 4 का 2/56 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/56 हिस्सा है तथा खाता संख्या 18 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रत्येक का 1/28 -1/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 का 2/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/28 हिस्सा है। खाता संख्या 128 में से ढाई आना छाजुराम के हिस्से मे से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का 1/6-1/6 हिस्सा है। खाता संख्या 19 में से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/42-1/42 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 4 का 2/42 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/42 हिस्सा है। इसी अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित होंगे। क्योंकि खाता संख्या 14, 13, 3, 4, 15, 16, 18, 19 में से स्व. गिन्दोड़ी ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 के हक में हकत्याग कर दिया व प्रतिवादी सं. 2 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं. 9 को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया।

बहस अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगण की सुनी गई अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3 ने दौराने बहस वादी के वाद पत्र के तथ्यों को तो स्वीकार किया लेकिन वादी व प्रतिवादी गण के हिस्सों के बारे में भिन्नता जाहीर की गई एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं. 3 के जवाबदावा के खण्ड नं. 4 अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 तथा प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा बनाना पाया जाता है एवं न्यायालय दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का दावा अंतिम डिक्री किये जाने योग्य पाता है।



(Handwritten signature)

-: आदेश :-

" अतः वाके ग्राम निहालोठ स्थित भूमि हाल खाता संख्या 17 के ख.न. 152 रकबा 0.09 है. में वादी सं. 1 का 1/42 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/42 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 व 3 का भी प्रत्येक का 1/42-1/42 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 4 का 2/42 हिस्सा था क्योंकि प्रतिवादी सं. 2 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 9 को बेचान कर दिया। इसलिए वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रत्येक का 1/42 -1/42 हिस्सा है व प्रतिवादी सं. 4 का 2/42 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/42 हिस्सा है तथा खाता सं. 18 के ख.न. 636 रकबा 0.62 है. ख.न. 757 रकबा 0.58 है. ख.न. 266 रकबा 0.44 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.64 है. में वादीगण का 1/28-1/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रत्येक का 1/28-1/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 का 2/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/28 हिस्सा है तथा खाता सं. 6 के ख.न. 171 रकबा 0.09 है. ख.न. 518 रकबा 0.32 है. ख.न. 524 रकबा 0.25 है. ख.न. 138 रकबा 0.14 है. कुल किता 4 रकबा 0.80 है. में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/14-1/14 हिस्सा है व प्रतिवादी सं. 4 का 2/14 हिस्सा है खाता संख्या 4 के ख.न. 611 रकबा 0.16 है. ख.न. 620 रकबा 0.18 है. कुल किता 2 रकबा 0.34 है. में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/28-1/28 व प्रतिवादी सं. 4 का 2/28 हिस्सा है खाता संख्या 14 के ख.न. 190 रकबा 0.19 है. में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/56-1/56 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 का 2/56 हिस्सा है। खाता संख्या 205 के ख.न. 158 रकबा 0.11 है. ख.न. 295 रकबा 0.22 है. ख.न. 296 रकबा 0.18 है. ख.न. 323 रकबा 0.47 है. ख.न. 325 रकबा 0.23 है. ख.न. 337 रकबा 0.07 है. ख.न. 360 रकबा 0.05 है. ख.न. 361 रकबा 0.06 है. ख.न. 365 रकबा 0.12 है. ख.न. 366 रकबा 0.13 है. 367 रकबा 0.16 है. ख.न. 369 रकबा 0.12 है. ख.न. 370 रकबा 0.12 है. ख.न. 371 रकबा 0.08 है. ख.न. 373 रकबा 0.12 है. ख.न. 374 रकबा 0.11 है. ख.न. 375 रकबा 0.13 है. ख.न. 378 रकबा 0.08 है. ख.न. 379 रकबा 0.05 है. ख.न. 380 रकबा 0.04 है. ख.न. 382 रकबा 0.04 है. ख.न. 595 रकबा 0.32 है. ख.न. 597 रकबा 0.10 है. ख.न. 602 रकबा 0.30 है. कुल किता 24 रकबा 3.28 है. में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रत्येक का 1/56-1/56 व प्रतिवादी सं. 4 का 2/56 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/56 हिस्सा है तथा खाता संख्या 18 के ख.न. 586 रकबा 0.18 है. ख.न. 610 रकबा 0.21 है. कुल किता 2 रकबा 0.39 है. में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रत्येक का 1/28 -1/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 का 2/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/28 हिस्सा है। खाता संख्या 130 के ख.न. 288 रकबा 0.14 है. ख.न. 289 रकबा 0.15 है. कुल किता 2 रकबा 0.29 है. में से ढाई आना अर्थात 6/13 हिस्सा छाजूराम के हिस्से में से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/13-1/13 हिस्सा है। खाता संख्या 204 के ख.न. 262 रकबा 0.19 है. ख.न. 263 रकबा 0.25 है. ख.न. 588 रकबा 0.18 है. ख.न. 876 रकबा 0.14 है.



(Signature)

उपखण्ड अधिकारी बुहान
जिला इन्डान (राज.)

ख.न. 877 रकबा 0.28 है. ख.न. 934/786 रकबा 0.01 है. ख.न. 151 रकबा 0.15 है. कुल कित्ता 7 रकबा 1.20 है. में से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 3 प्रत्येक का 1/42-1/42 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 4 का 2/42 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/42 हिस्सा है। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व 9 को खातेदार कारस्तकार घोषित किया जाता है। ओर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व 9 के हिस्सों को दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा खाता संख्या 130 में दर्ज खातेदार गिन्दोड़ी पत्नी छाजू का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है शेष खातेदारों की हिस्सेदारी यथावत रहेगी। इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। "



(Signature)

(सुमन देवी) बुहाना
उपखण्ड अधिवक्ता (सक.)

पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 14.7.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(Signature)

(सुमन देवी) बुहाना
उपखण्ड अधिवक्ता (सक.) एवं

पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुढाना जिला शुभानु(राज)
पीठासीन अधिकारी :- सुमन देवी II. R.A.S.

राजस्व वाद सं. 185/2023

जीसीएमएस नम्बर - 2023/2023

शुभ वरु - बराम - कृष्ण कुमार वरु

दावा - घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्त।

वादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादी सं. 3 की ओर से श्री विजयपाल यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी के रामक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि -

" ग्राम निहालोठ स्थित भूमि खाल ख़ाता संख्या 17 में वादी सं. 1 का 1/42 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/42 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रत्येक का 1/42 -1/42 हिस्सा है व प्रतिवादी सं. 4 का 2/42 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/42 हिस्सा तथा ख़ाता सं. 18 में वादीगण का 1/28-1/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रत्येक का 1/28-1/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 का 2/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/28 हिस्सा है तथा ख़ाता सं. 8 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/14-1/14 हिस्सा है व प्रतिवादी सं. 4 का 2/14 हिस्सा है ख़ाता संख्या 4 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/28-1/28 व प्रतिवादी सं. 4 का 2/28 हिस्सा है ख़ाता संख्या 14 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/56-1/56 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 का 2/56 हिस्सा है। ख़ाता संख्या 205 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रत्येक का 1/56-1/56 व प्रतिवादी सं. 4 का 2/56 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/56 हिस्सा है तथा ख़ाता संख्या 16 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रत्येक का 1/28 -1/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 का 2/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/28 हिस्सा है। ख़ाता संख्या 130 में से ढाई आना अर्थात 6/13 हिस्सा छाजूराम के हिस्से में से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/13-1/13 हिस्सा है। ख़ाता संख्या 204 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 3 प्रत्येक का 1/42-1/42 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 4 का 2/42 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 का 1/42 हिस्सा है। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व 9 को ख़ातेवार कास्तकार घोषित किया जाता है। ओर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व 9 के हिस्सों को दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा ख़ाता संख्या 130 में दर्ज ख़ातेवार गिन्चोडी पत्नी छाजू का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है शेष ख़ातेवारों की हिस्सेवारी यथावत रहेगी। इसी अनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया गया ख़र्चा वाद वादीगण व प्रतिवादीगण अपना-अपना वहन करेगे।"



(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुढाना